INDIAN INSTITUTE OF CRAFTS & DESIGN

J-8, Jhalana Institutional Area, Jaipur-302 004 Rajasthan

सुरक्षा कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा शुल्क : 200/– रुपये

निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 15.12.2025 को दोपहर 3.00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि 15.12.2020 को सांय 3.30 बजे

धरोहर राषि 25,000/– रुपये

1. निविदादाता फर्म का नाम ....

2. कार्यालय का नाम पता मय फोन नं. ....
   ....

3. निविदा हेतु धरोहर राषि रुपये .... डी.डी. नं. .... दिनांक .... का संलग्न है।

4. अनुवर्ष वर्ष .... (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

5. आयकर क्लियरेन्स, श्रम विभाग, पी.एफ., ई.एस.आई. का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

6. वित्तीय विवरण

क्र. सं.	श्रेणी	छर	कुल
01	सुरक्षाप्रहरी (कुषल)	मूल वेतन 26 दिन X रु.	
02	सुरक्षाप्रहरी (अर्द्धकुषल)	मूल वेतन 26 दिन X रु.	
03	अन्य भत्ते	26 दिन X रु.	
04	पी.एफ.	प्रतिशत	
06	ईएसआई	प्रतिशत	
		योग	
		सर्विस चार्ज (प्रतिषत)	
		कुल योग	
		जीएसटी	
		कुलयोग	

तिथि :–

हस्ताक्षर

स्थान :–

निविदा की शर्तें

1. निविदादाता को अमानत राषि के रूप में रुपये 25,000/– जमा कराने होंगे। बिना अमानत राषि के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. सफल निविदादाता को कुल 5 प्रतिषत राषि जमा कराने होंगे, जिसमें अमानत राषि के रुपये को समायोजित किया जा सकता है।
3. निविदादाता को निविदा बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा जिस पर स्पष्ट रूप से निविदादाता का नाम, कार्य का नाम अंकित होना चाहिये।
4. निविदादाता को राजकीय कार्यालयों एवं अन्य संस्थानों में सुरक्षा कार्य करने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव होना आवष्यक है जिस हेतु अनुभव प्रमाणपत्र संबंधित संस्थानों के विभागाध्यक्षों द्वारा जारी किया हो, संलग्न करना आवष्यक होगा। अनुभव पत्र के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। आवासीय शैक्षणिक संस्थानों में कार्य करने वाली एजेन्सियों को प्राथमिकता दी जावेगी।
5. निविदादाता का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम 50 लाख होना चाहिए।
6. सुरक्षा ठेका एक वर्ष के लिए मान्य होगा तदुपरान्त आपसी सहमति से ठेका अन्य वर्षों के लिए भी बढ़ाया जा सकता है।
7. निविदा संस्थान के द्वारा बताये गये निर्धारित स्थानों की सुरक्षा के सम्बन्ध में होगी।
8. निविदादाता द्वारा सुरक्षा ठेके का कोई भी भाग सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
9. यदि सुरक्षा के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुषासनहीनता बरती जाती है तो बिना कारण बताये एक नोटिस देकर सुरक्षा ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
10. सुरक्षा के किसी भी कार्य में लापरवाही बरतने पर उसका समस्त हर्जा–खर्चा सम्बन्धित ठेकेदार से वसूल किया जायेगा।
11. द्वितीय पक्ष द्वारा नियुक्त सुरक्षा प्रहरियों का पुलिस वैरीफिकेषन कराकर ही ड्यूटी पर तैनात किया जायेगा। पुलिस वैरीफिकेषन की एक प्रति संस्थान में जमा करानी होगी। बिना पुलिस वैरीफिकेषन के भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।
12. निविदादाता द्वारा समस्त सुरक्षा प्रहरियों को निर्धारित साफ–सुथरी पोषाक, सीटी, डंडा एवं अन्य सामग्री प्रदान की जावेगी।
13. निविदादाता को महिला एवं पुरूष सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध कराने होंगे तथा उनकी आयु 21 वर्ष से 50 साल के बीच की होनी चाहिये।
14. किसी भी सुरक्षा प्रहरी को बार–बार नहीं बदला जायेगा। यदि किसी कारणवष बदलाव करना है तो प्रषासन को सूचित करके ही बदला जायेगा।
15. निविदादाता को समस्त सुरक्षा प्रहरियों को के सम्बन्ध में निर्धारित समस्त श्रम नियमों की पालना करती होगी। जिसके सम्बन्ध में संस्थान किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

16. संस्थान के सम्बन्धित अधिकारी/इंचार्ज के आदेषों की पालना करनी होगी।
17. संस्थान में किसी भी दिवस/घंटे सुरक्षा प्रहरी अनुपस्थित नहीं रहेंगे।
18. संस्थान में नियुक्त सुरक्षा प्रहरियों को कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
19. ठेकेदार को सुरक्षा प्रहरियों के दस्तावेज–मार्कषीट, पहचान एवं पते से सम्बन्धित दस्तावेज एवं सुरक्षा एजेन्सी का आईकार्ड आदि संस्थान में सम्बन्धित अधिकारी/इंचार्ज को जमा कराने होंगे।
20. संस्थान में किसी भी सामग्री के गायब होने पर सम्बन्धित सुरक्षा ठेकेदार को उसकी आपूर्ति या सामग्री की कीमत के बराबर की राषि जमा करानी होगी।
21. सुरक्षा प्रहरियों द्वारा सुरक्षा के सम्बन्ध में किसी भी वाहन एवं व्यक्ति की जाँच करने की स्वतंत्रता होगी लेकिन प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा जावेगा।
22. संस्थान द्वारा मुख्य द्वार पर बना सुरक्षा कक्ष मय शौचालय उपलब्ध करवाया जावेगा जिसका कोई शुल्क नहीं वसूला जवेगा। जिसका उपयोग केवल ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा ही किया जावेगा।
23. सुरक्षा प्रहरियों को राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम वेतन देने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
24. निविदादाता को सुरक्षा प्रहरियों को प्रतिमाह दिये जाने वाले वेतन का बैंक स्टेटमेन्ट भी बिल के साथ संलग्न करना होगा।
25. निविदादाता को भुगतान माह में एक बार ही किया जावेगा, जिसका बिल माह की 05 तारीख तक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
26. ठेकेदार द्वारा सुरक्षा प्रहरियों का पी.एफ. ई.एस.आई, प्रमाण पत्र (चालान) संस्थान को प्रतिमाह आवष्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। जिसके पश्चात् ही संस्थान द्वारा बिल का भुगतान किया जायेगा।
27. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षा प्रहरियों को समय पर भुगतान किया जावेगा, कर्मचारियों को दिया जाने वाला वर्दी, भत्ता, न्यूनतम वेतन एवं अन्य लाभ, परिलाभ देने का उत्तरदायित्व निविदादाता का ही होगा।
28. निविदादाता द्वारा न्यूनतम वेतन, पी.एफ. ई.एस.आई, जी.एस.टी. राज्य सरकार एवं किसी भी निगम द्वारा लगाये जाने वाले कर का भुगतान स्वयं करना होगा।
29. न्यूनतम वेतन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित और समय–समय पर संषोधित दरों पर किया जावेगा।
30. संस्थान के द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी कभी भी किसी भी समय सुरक्षा व्यवस्था की जाँच के लिए आने पर समस्त रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना होगा।

31. ठेकेदार द्वारा संस्थान की सहमति से ड्यूटी पर तैनात होने वाले कर्मचारियों का एक ड्यूटी चार्ट बनाकर संस्थान को दिया जायेगा, जिससे समय–समय पर तैनात कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिष्चित की जा सके।

32. ठेकेदार द्वारा संस्थान द्वारा बताये गये स्थान पर अलग–अलग सुरक्षा प्रहरियों की नियुक्ति तीन षिफ्ट (8 घण्टे प्रति षिफ्ट) में की जायेगी। इसके अतिरिक्त ड्यूटी अवधि मान्य नहीं होगी एवं उसका भुगतान भी नहीं किया जायेगा।

33. रात्रिकालीन ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को रात्रि में सम्पूर्ण संस्थान की पेट्रोलिंग करनी होगी।

34. किसी भी सुरक्षा कर्मचारी के संबंध में किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार की एवं किसी आपत्तिजनक पदार्थ के उपयोग संबंधी षिकायत प्राप्त होने पर ठेकेदार द्वारा संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध आवष्यक कार्यवाही कर उसे ड्यूटी से तुरंट हटा दिया जायेगा।

35. सुरक्षाकर्मी संस्थान के अन्दर आने वाली व संस्थान से बाहर जाने वाली समस्त सामग्री की चैंकिंग करेंगे तथा गेट–पास होने पर ही सामग्री को बाहर जाने देंगे।

36. ठेका स्वीकृत हो जाने की स्थिति में सफल निविदादाता को 500/– के नॉन ज्यूडिषियल स्टॉम्प पेपर पर नियमानुसार निर्धारित अनुबन्ध पत्र प्रतिपादन करना होगा जो ठेका अवधि के लिए वैध होगा।

37. सभी सुरक्षा प्रहरियों को केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के सम्बन्ध में जारी विभिन्न गाईडलाईन का पालन करना अनिवार्य होगा।

38. सषर्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

39. संस्थान न्यूनतम निविदादाता को सुरक्षा ठेका देने को बाध्य नहीं होगा।

40. किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेषक/सचिव भारतीय षिल्प संस्थान को होगा।

41. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

मुझे उपरोक्त सभी शर्तें स्वीकार है।

हस्ताक्षर निविदादाता